न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 09/2017 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. मोतीलाल पुत्र स्व0 तुल्ली जाति गुर्जर निवासी ग्राम बाढ़ बिलन्दी तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांट

बनाम

1. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत मालाखेड़ा, निवासी व तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज0 ।
2. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (प्रथम) वृत मालाखेड़ा निवासी मौहल्ला लादिया, अलवर राज0 ।
3. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, अलवर राज0 ।

..... रेस्पोडेन्टान

उपस्थित :–
1. श्री देवेन्द्र कुमार जैन अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री राजबहादुर, अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1
3. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 3

::: निर्णय :::

दिनांक :–28.02.2018

यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अलवर के निर्णय दिनांक 19.01.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 134 रकबा 0.29, 131 रकबा 0.14, 284 रकबा 0.75, 287 रकबा 0.68 है0 वाके ग्राम बाढ़ बिलन्दी तहसील मालाखेड़ा का वादी काबिज खातेदार काश्तकार है जो आराजी विवादित है । विवादित आराजी से लगते हुए आराजी ख0 नं0 132, 133 व 285 गै0मु0 रास्ते की आराजी है । दि0 17.10.2016 को प्रतिवादीगण व उसके अधीनस्थ कर्मचारीगण विवादित आराजी पर आये और वादी के कब्जे काश्त विवादित आराजी के तरफ पूर्व के हिस्से का ख0 नं0 132, 133 व 285 गै0मु0 रास्ते की आराजी के तरफ पश्चिम के हिस्से में मिलाकर वादी की आराजी में मिट्टी डालकर सड़क निर्माण कार्य करने की धमकी देने लगे जबकि सड़क निर्माण करने का कोई हक और अधिकार नहीं है । अतः प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वे वादी को जबरन बेदखल कर कब्जा नहीं करें तथा वादी के

उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत पैदा नहीं करें तथा सड़क निर्माण कार्य नहीं करें और किसी प्रकार की रोड़ी, मिट्टी डालकर किस्म परिवर्तित नहीं करने का निवेदन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया । अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनकर दिनांक 19.01.2017 को वादी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिस निर्णय दि0 19.01.2017 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अपीलांट अभिभाषक ने बहस की शुरूआत करते हुए अपील के तथ्यों को दोहराया और अधीनस्थ न्यायालय में पेश वाद के तथ्यों का हवाला देते हुए कहा कि अपीलांट/वादी विवादित आराजी ख0 नं0 134, 131, 284, 287 के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं तथा इस आराजी के लगते हुए पूर्व दिशा की ओर ख0 नं0 132, 133 व 285 गै0मु0 रास्ता दर्ज रेकार्ड है । इस गै0मु0 रास्ते के भी पूर्व दिशा की ओर अन्य खातेदारों की आराजी है, जिन्होंने इस गै0मु0 रास्ते की आराजी पर अतिक्रमण करके अपनी खातेदारी की आराजी में मिला लिया है जिससे मौके पर रास्ता कम हो गया है । ये प्रभावशाली व्यक्ति हैं । इनसे रेस्पो0 गै0मु0 रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण को खाली नहीं करा रहे हैं बल्कि मुझ अपीलांट/वादी की खातेदारी की आराजी पर अतिक्रमण करके पक्का डामर रोड़ का निर्माण कर रहे हैं । अतः अपीलांट की खातेदारी की आराजी ख0 नं0 134, 131, 284 व 287 में प्रतिवादी/रेस्पो0 को कोई अधिकार नहीं है कि वे अतिक्रमण करके नवीन रास्ते का निर्माण करावें । वादी/अपीलांट, प्रतिवादी/रेस्पो0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने के अधिकारी हैं । तहत न्यायालय ने वादी/अपीलांट की इस इस्तदुआ को स्वीकार न करके गलत व कानून विरूद्ध वाद खारिज किया है जिसकी अपील यहा पेश की है ।

बहस में आगे कहा कि उनके द्वारा बन्दोबस्त विभाग से अपनी खातेदारी की आराजी की पैमाईश करायी है जिसके अनुसार अपीलांट/वादी की खातेदारी का रकबा, रास्ते की ओर आ रहा है । दूसरी साईड के खातेदारों ने रास्ते पर अवैद्य अतिक्रमण कर रखा है । अतः खातेदारी अधिकार व पैमाईश के अनुसार वादी/अपीलांट, रेस्पो0/प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है । अतः अपीलांट/वादी को उसकी खातेदारी की आराजी पर अतिक्रमण करके रास्ता कायम नहीं करने बाबत रेस्पो0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें ।

इस संबंध में अपीलांट अभिभाषक ने कानूनी नजीर आर.आर.टी. 2010 पेज 1067, आर.आर.टी. 2011 पेज 802 पेश कर कहा कि खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी चाहिए । बहस में ये भी कहा कि यदि पैमाईश से वादी/अपीलांट रास्ते की जमीन पर काबिज पाया जाता है तो वह अपने खर्चे पर तुरन्त अतिक्रमण हटा लेगें और यदि रेस्पो0 को रास्ते के लिए खातेदारी में से जमीन चाहिए तो कानूनी प्रकिया अपनाये ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार करके रेस्पो0 को अस्थाई निषेधाज्ञा से मूल वाद के निर्णय तक पाबन्द किया जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावें ।

जवाब बहस में पैरोकार सरकार का कथन है कि रेस्पो0 के द्वारा मौके पर जो रास्ता मौजूद है वहीं निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा यहा लम्बे समय से रास्ते की पट्टी स्थित है । अतः जहां पर रेस्पो0 द्वारा पूर्व के रास्ते पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, पाबन्द कराने का अधिकारी नहीं है । अपील गलत रूप से पेश की गयी है । अधीनस्थ न्यायालय ने वाद वादी के साथ पेश प्रार्थना पत्र 212 सही खारिज किया है । साथ में यह भी कहा कि मौके पर निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है । अतः अपील का कोई औचित्य नहीं है ।

जवाब बहस में अपीलांट अभिभाषक का कथन है कि वादी/अपीलांट एक खातेदार की हैसियत से अपनी खातेदारी की आराजी में कोई निर्माण कार्य नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा चा रहे हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय किया है वह खिलाफ कानून व नजीरों के खिलाफ है जो काबिल खारिजी के हैं । अपील स्वीकार करने की इस्तदुआ की ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी, न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया तथा रेकार्ड एवं पेश पैमाईश रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा पेश कानूनी नजीरों का भी ससम्मान अवलोकन किया ।

मुताबिक राजस्व रेकार्ड आराजी ख0 नं0 134, 131, 284 व 287 के अपीलांट रेकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं । नक्शा ट्रेस के अनुसार इन खसरा नम्बर के पूर्व दिशा की ओर ख0 नं0 132, 133 व 285 गै0मु0 रास्ते के रूप में रेकार्ड में दर्ज है । अपीलांट/वादी एक खातेदार काश्तकार रेकार्ड में दर्ज हैं और अपीलांट/वादी का मुख्य अनुतोष यही है कि वे अपनी खातेदारी की आराजी में से किसी रास्तें का निर्माण कार्य रूकवाना चाहते हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने इस क़ानूनी बिन्दु पर गौर नहीं किया जबकि पेश कानूनी नजीरों के अनुसार एक खातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त होनी चाहिए । जहां तक रास्ते के खसरा नम्बर पर अतिक्रमण का प्रश्न है तो यह बिन्दु पैमाईश से तय होगा कि मौके पर रास्ता कहा होना चाहिए । अतः कानूनी रूप से एक खातेदार इस प्रकार की स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है । प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु अपीलांट के पक्ष में ही पाये जाते हैं ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अलवर का निर्णय दि0 19.01.2017 निरस्त किया जाता है तथा रेस्पो0 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निर्णय तक पाबन्द किया जाता है कि वे अपीलांट/वादी की खातेदारी की आराजी ख0 नं0 134, 131, 284 व 287 में किसी प्रकार के रास्ते का निर्माण कार्य नहीं करावें । रेस्पो0 गै0मु0 रास्ते की आराजी ख0 नं0 132, 133 व 285 में ही पक्के निर्माण कार्य करवा सकते हैं । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । 28/2/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर